Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

2. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No. ______________________

(In words)

Test Booklet No.

D—5806

PAPER—III

LAW

Time : 2½ hours] **[Maximum Marks : 200**

Number of Pages in this Booklet : **40** Number of Questions in this Booklet : **26**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc. is prohibited.**
10. **There is NO negative marking.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ / प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. **केवल नीले / काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।**
10. **गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।**

LAW

विधि

PAPER—III

प्रश्न-पत्र—III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अज़्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उज़र अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड—I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निज़्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उज़्र लगभग तीस (30) शज़्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।

(5x5=25 अंक)

Note : The Candidate are advised to read the following paragraph carefully and answer the five questions asked on the given paragraph in upto 30 words, each question carry 5 marks.

"The right to establish an educational institution for charity or for profit, being an occupation, is protected by Art. 19 (1) (g). Not with standing the fact that the right of a minority to establish and administer an educational Institution would be protected by Art. 19 (1) (g), yet the founding father of the Constitution felt the need of enacting Art. 30. The reasons are too obvious to require elaboration Art. 30 (1) is intended to instill confidence in minorities against any executive and legislative encroachment to their right to establish and administer educational institutions of their choice. Art. 30 (1) though styled as a right is more in the nature of protection for minorities. But for Article 30, an educational institution, even though based on religion or language, could have been controlled or regulated by law enacted under clause (6) of Article (19), and so, Art. 30 was enacted as a guarantee to the minorities that so far as the religious, or linguistic minorities are concerned; educational institution of their choice will enjoy protection from such legislation. However, such institutions cannot be discriminated against by the state solely on account of their being minority institutions. The minorities being numerically less qua non-minorities, may not be able to protect their religion or language and such cultural values and their educational Institution will be protected under Art. 30, at the stage of law making. However, merely because Art. 30 (1) has been enacted, minority educational institutions do not become immune from the operation of regulatory measure because the right to administer does not include the right to mal-administer. To what extent the state regulation can go, is the issue. The real purpose sought to be achieved by Art. 30 is to give minorities some additional protection. Once aided, the autonomy conferred by the protection of Art. 30 (1) on the minority educational institution is diluted as provisions of Art. 29 (2) will be attracted. Certain conditions in the nature of regulations can legitimately accompany the state aid".

नोट : अज़्यर्थियों को निज़्नलिखित पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ने का एवं उस दिये गये पैराग्राफ पर आधारित पाँच प्रश्नों के उज़्र लगभग 30 शज़्दों में देने का परामर्श दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना का अधिकार भलेही वह खैराती अथवा लाभ के लिये हो एक व्यवसाय होने के नाते अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा संरक्षित है। इस बात के होते हुए भी कि अल्पसंज़्यक का शैक्षणिक संस्था

स्थापित करने एवं प्रशासन अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा संरक्षित है तो भी संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 30 को अधिनिमित करना आवश्यक समझा। इसके कारण इतने स्पष्ट हैं कि उनकी व्याज़्या आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य अल्पसंज़्यकों में यह आत्मविश्वास पैदा करने के लिये आशयित है कि कोई अधिशाशी का विधायी हस्तक्षेप उनके विकल्प की शैक्षणिक संस्था की स्थापना एवं प्रशासन के अधिकार में नहीं है। अनुच्छेद 30 (1) यद्यपि एक अधिकार के रूप में दिया गया है तो भी यह अल्पसंज़्यकों के हितों की संरक्षण की प्रकृति वाला ज्यादा है। अनुच्छेद 30 के लिये एक शैक्षणिक संस्था भले ही वह धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित की जाती रही है, अत: अनुच्छेद 30 अल्प संज़्यकों को गारन्टी के रूप में अधिनियमित किया गया है कि जहाँ तक धार्मिक अथवा भाषायी अल्प संज़्यकों का प्रश्न है उनके विकल्प का शैक्षणिक संस्थान ऐसे विधायन से संरक्षण प्राप्त करता रहेगा। यद्यपि ऐसी संस्थाओं को राज्यद्वारा केवल इस आधार पर कि वे एक अल्प संज़्यक संस्थाएँ है भेदभाव (distrimination) नहीं किया जायेगा। ऐसे अल्पसंज़्यक जो गणितीय रूप से अल्प संज़्यक नहीं है वे अपने धर्म या भाषा और ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों एवं अपने शैक्षणिक संस्थाओं का अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत विधि का निर्माण करते समय संरक्षित नहीं कर पायें। हालांकि मात्र इसलिये कि अनुच्छेद 30 (1) अधिनियमित हो चुका है। अल्पसंज़्यक शैक्षणिक संस्थाएं विधि के विनियमितों के प्रभाव से मुज़्त नहीं होगी ज़्योंकि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। यह विवाद का प्रश्न है कि राज्य कहां तक इसके लिये नियम बना सकता है अनुच्छेद 30 का मुज़्य उद्देश्य है कि अल्पसंज़्यक को कुछ अतिरिज़्त संरक्षण। अल्पसंज़्यक शैक्षणिक संस्था के एक बार अनुदानित हो जाने पर अनुच्छेद 30 (1) के द्वारा प्रदत स्वशासन का संरक्षण अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों के कारण क्षीण हो जायेगा। राज्य के अनुदान के साथ विनियमनों की प्रकृति की कुछ शर्तें legitimately लगायी जा सकती है।

1. Name the case-judgement from which above paragraph is taken ? Explain issue of the case.

उस प्रकरण का निर्णय जिससे ऊपरी पेराग्राफ लिया गया है को उद्गृत कीजिये ? प्रकरण के बिन्दु को भी स्पष्ट कीजिये :

2. Why linguistic and religious minorities need protection under Article 30 (1) ?
संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंज्यकों को संरक्षण की ज़्या आवश्यकता है ?

3. What protection linguistic or religious minorities get under Article 30 (1) ?
संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंज्यकों को ज़्या संरक्षण प्राप्त है ?

4. What are limits of Article 30 (1) ?

अनुच्छेद 30 (1) की ज़्या सीमाएँ हैं ?

5. How Article 29 (2) dilute Article 30 (1) ?

अनुच्छेद 29 (2) किस प्रकार अनुच्छेद 30 (1) के प्रभाव को क्षीण करती है।

SECTION - II

खण्ड—II

Note : This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

नोट : इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उज़र लगभग तीस (30) शज़्दों में अपेक्षित है।

(5x15=75 अंक)

6. Discuss the powers and privilleges of the parliament under the constitution of India.

भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसद के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।

7. Discuss the functioning of Parliamentary Committees.

संसदीय समितियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

8. Discuss the principle of "audi alteram partem".

दुसरे की भी सुनो (ऑडी एलटर्म पारट्म) के सिद्धान्त को समझाइये।

9. Possession is Nine-Tenth of ownership. Discuss

कब्ज़ा स्वामित्व का नौवां-दसवां भाग है, समझाइये।

10. Discuss the natural law theory propounded by St. Thomas Aquinas.

संत थॉमस एक्वीनास द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक विधि के सिद्धान्तों को समझाइये।

11. "The offence of abetment depends upon the intention of the abettor and not upon the act committed by the abetted". Comment.

दुष्प्रेरण का अपराध दुष्प्रेरक के आशय पर निर्भर करता है न कि दुष्प्रेरित किए हुए कार्य से। विवेचना कीजिए।

12. A owed a small sum of money to B. In order to exercise pressure on A to pay the debt, B drove off without A's consent, two cows belonging to A while the cows were grazing and tied them up in the varandah of his house. Discuss B's liability.

A ने B का कुछ धन देना था। कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने हेतु बिना ए की अनुमति लिए B ने चरती हुई दो गायें हांक ली और उन्हें अपने बरामदे में बांध लिया। B का दायित्व बताइये।

13. Define the term Sustainable Development.

पोषणीय विकास की परिभाषा दीजिये।

14. Explain the rules relating to the disputes settlement mechanism under the W. T. O.

डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत विवाद सुलझाने की मशीनरी के नियमों का विवरण कीजिए।

15. Discuss the important changes brought about in the provisions of Hindu Marriage Act, 1955 by the amendement act, 1976.

1976 के संशोधन से हिन्दु विवाह अधिनियम की धाराओं में जो मुज़्य बदलाव लाये गये है उनकी विवेचना कीजिए।

16. Write a critical essay on polygamy under muslim law.

मुस्लिम विधि में बहुपत्नि विवाह पर एक आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

17. Critically examine the working of the National Human Rights Commission.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक विवरण कीजिए।

18. Discuss the principle of Res Ipsa Loquitur.

''घटना स्वयं बोलती है'' सिद्धांत की विवेचना कीजिए।

19. Explain the terms "holder" and "holder in due course".

शज़्द 'धारक' एवं 'उचित अवस्था में धारक' को समझाइये।

20. Discuss the statutory powers of a company director.

कज़्पनी के निदेशक की वैधानिक शज़्तियों को स्पष्ट कीजिए।

SECTION - III

खण्ड—III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation unit and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अज़्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचो प्रश्नों का उज़र देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उज़र लगभग दो सौ (200) शज़्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

Elective - I

विकल्प—I

21. Explain the process of appointment and transfer of Judges.

न्यायाधीशों की नियुज़्ति एवं उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाइये।

22. What are the limitations laid down by the courts on the power of parliament to amend the constitution ? Discuss.

न्यायपालिका द्वारा संविधान में संशोधन हेतु संसद पर ज़्या प्रतिबंध लगाये हैं। विवेचना कीजिए।

23. What is a "Bill" ? Explain the procedure for passing different kinds of Bills.

बिल ज़्या है? विभिन्न प्रकार के बिलों को पारित करने की प्रक्रिया को समझाइये।

24. What are the essential features of Indian Parliamentary Government ? Do you think that India needs a Presidential form of Government ? Discuss.

भारतीय संसदीय सरकार के आवश्यक लक्षण ज़्या हैं? ज़्या आप सोचते हैं कि भारत को राष्ट्रपतिय सरकार की आवश्यकता है? समझाइये।

25. Explain the role of supreme court in prevention and control of harassment of working women.

कार्य करने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने एवं उस पर नियंत्रण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के योगदान को समझाइये।

OR / अथवा

Elective - II
विकल्प—II

21. Rule of law demands that law should be able to control the numerous wide discretionary powers. Explain.
'विधि का शासन' की माँग है कि विधि को अनगिनत विस्तृत विवेकाधिकार को नियन्त्रित करना चाहिये। स्पष्ट कीजिये।

22. Courts adopt various methods to control administrative discretion. Elucidate.
न्यायालय प्रशासनिक विवेकाधिकार को नियन्त्रित करने के लिये कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वर्णन कीजिये।

23. As governmental powers continually grow more drastic, it is only by procedural fairness that they are rendered tolerable. Comment.
सरकार की शक्तियाँ ज्यों ज्यों निरन्तर बढ़ती है ज्यादा भयानक होती जाती है, प्रक्रिया की न्याय संगतता ही इन अधिकारों को सहनीय बनाये रखती है, टिप्पणी कीजिये।

24. Explain the purpose of the writ of certiorari.
उत्प्रेषण याचिका के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये।

25. Has the institution of Lok Pal helped in achieving the object for which it was created ?
ज़्या लोकपाल की संस्था उस उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हुई है जिस उद्देश्य के लिये इसे स्थापित किया गया था?

OR / अथवा

Elective - III
विकल्प—III

21. "Recognised morality is as important as recognised government". Discuss critically the relationship of law and morality in the light of this statement.
''नैतिकता की मान्यता उतनीही महत्वपूर्ण है जितनी कि सरकार की मान्यता''। इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए विधि एवं नैतिकता के सज़्बन्ध की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।

22. Explain when custom becomes Law. Discuss also the importance of custom as a source of law in India.
रूढि कब विधि का रूप ले लेती है, स्पष्ट कीजिये। भारत में रूढि का विधि के स्त्रोत के रूप में महत्व को भी समझाईये।

23. Critically analyse the Hohfeldian concept of right. Whether this concept has its relevance in India. Evaluate.
विधि की हॉफील्डियन अवधारणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ज़्या विधि की यह अवधारणा भारत में सुसंगत है, आंकलन कीजिये।

24. "Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people, and finally dies away as the nation loses its nationality" - Puchta a disciple of Savigny. Critically evaluate this statement.

''विधि उन्नति के साथ उन्नति करती है, और जनशक्ति के साथ साथ मजबूती ग्रहण करती है और अन्त में राष्ट्र की राष्ट्रीयता के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाती है'' (सेवीनी के एक शिष्य) उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिये।

25. Critically evaluate the role of supreme court in protecting the rights of accused persons.

अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय की भुमिका का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिये।

OR / अथवा

Elective - IV

विकल्प—IV

21. Define and distinguish between 'preparation' and 'attempt' to commit an offence.

अपराध की 'तैयारी' एवं अपराध कारित करने का 'प्रयास' को परिभाषित करते हुए उनके मध्य अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

22. Explain different kinds of offences affecting public health under Indian Penal Code. Also refer the special statutes which have enacted to this effect.

लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बताये गये विभिन्न अपराधों को स्पष्ट कीजिये। इस सज़्बंध बनाई गई विभिन्न विशिष्ट विधियों का उल्लेख भी कीजिए।

23. "Robbery is an aggravated form of extortion" Discuss.

''राहजनी (लूट) अपकर्षण का गज़्भीर रूप है।'' समझाइये।

24. Discuss fully how far the plea of mistake of fact is a good defence against a charge.

किसी दोषारोपण के विरूद्ध तथ्य की भूल कहाँ तक एक अच्छा बचाव है, विवेचना कीजिए।

25. Compare and contrast the characteristics of common intention abetment and conspiracy as provided under Indian Penal Code.

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सामान्य आशय, दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र की आपस में तुलना करते हुए उनमें भिन्नता भी बताईये।

OR / अथवा

Elective - V
विकल्प—V

21. Examine the scope of S.133 of Cr.P.C as a tool for combating environmental pollution.
पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को हथियार के रूप में उपयोग करने के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

22. What is a Biological Diversity ? Discuss the international and Indian measures in this area ?
जैविक भिन्नता (बायो डायवरसिटी) ज़्या है? इस सज़्बंध में भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपायों की विवेचना कीजिए।

23. Discuss the right to development and the role played by the judiciary in protecting this right ?
विकास के अधिकार को समझाइये तथा न्यायपालिका द्वारा इस अधिकार के संरक्षण हेतु योगदान की विवेचना कीजिए।

24. Write a critical assessment of the Environment (Protection) Act 1986. Suggest modifications if necessary.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यदि कोई सुधार आवश्यक है तो सुझाव दीजिए।

25. Discuss the effectiveness of pollution control under Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974.
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावशीलता की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VI
विकल्प—VI

21. What is Intervention and on what grounds do the states justify intervention ?
हस्तक्षेप ज़्या है और राज्य किन आधारों पर हस्तक्षेप को उचित बताते हैं।

22. Discuss the general principles of law recognised by civilized nations as a source of International Law ?
''सज़्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धान्तों'' को अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक स्त्रोत समझते है। स्पष्ट कीजिए।

23. Briefly describe the purpose of the United Nations.
संयुज़्त राष्ट्र के प्रयोजनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

24. Explain Extradition and discuss the principle of non-extradition of political offenders.
प्रत्यर्पण की व्याज़्या कीजिए और राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पण न करने के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

25. What advisory opinion was given by the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons. Explain.
अणु अस्त्रों के प्रयोग कि विधिमता पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ज़्या सलाहकारी राय दी थी व्याज़्या कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VII
विकल्प—VII

21. Discuss the changing concept of cruelty and desertion as a ground of marimmonial relief under Hindu Law. Refer to recent case Law.
निर्दयता एवं परित्याग शज़्द की बदलती अवधारणा को हिन्दुविधि में वैवाहिक उपचार के आधार के रूप में समझाइये। नवनिर्णित वादों को उदगृहत कीजिये।

22. Are the following Muslim Marriages Valid ? Give reasons.
(a) A muslimah marriage with a christian boy.
(b) A marriage with muslim female who is observing iddat period.
(c) Marriage with a foster-mothers daughter.
(d) Marriage with a impotant person.
(e) Marriage with a HIV/AIDS effected person.
ज़्या ये मुस्लीम विवाह विधिमन्य है। कारण बताये।
(a) एक मुस्लीमा क्रिश्चन लड़के से विवाह करती है।
(b) एक मुस्लीम स्त्री से शादी करता है जो इद्दत कर रही है।
(c) पालित माँ की लड़की के साथ विवाह।
(d) नपुंसक के साथ विवाह।
(e) जो व्यज़्ति एच.आई.वी/एड्स से पीडित है, से विवाह।

23. Define Hizanat. Under what circumstances a woman can be a national guardian ? Refer to recent case law.
हिज़ानत की व्याज़्या कीजिए। किन परिस्थितियों में महिला नैसर्गिक संरक्षण हो सकती है। नवीन निर्णयों का भी उल्लेख कीजिए।

24. Under what circumstances a Muslim woman can seek a divorce from her husband ?
किन परिस्थितियों में मुस्लिम पत्नी अपने पती से विवाह विच्छेद कर सकती है।

25. Outline your argument in favour of implementation of uniform civil code in India.
भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने तत्वों को रेखांकित कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VIII
विकल्प—VIII

21. Critically evaluate the role played by UN for the protection of Human Rights.
संयुज़्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार संरक्षण हेतु किये गये योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

22. Critically evaluate the International Human Rights norms for the protection of minorities.
अल्पसंज़्यकों के संरक्षणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मानकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

23. How the Indian Legal System responds towards the obligations created under the Conventions on the Rights of the child ? Discuss.
शिशु के अधिकारों के सज़्बंध में अभिसमय के प्रति भारतीय विधिक व्यवस्था की कैसी जवाबदेही रही है? समझाइये।

24. International Human Rights Law is a vanishing point of Jurisprudence". Discuss.
''अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार विधि विधिशास्त्र का लोप होता हुआ बिन्दु है''। समझाइये।

25. Briefly describe the impact of modern theories of Human Rights.
आधुनिक मानवाधिकार सिद्धान्तों के प्रभाव को संक्षेप में समझाइये।

OR / अथवा

Elective - IX
विकल्प—IX

21. Proceedings under the Consumer Protection Act are consumer friendly. Explain.
उपभोज़्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण उपभोज़्ता के प्रति मैत्रीपूर्ण है।

22. Only a person having a right in immovable property is competent to file an action for nuisance. Define nuisance and discuss its essentials.
अपदूषण के लिये वाद दायर करने में सिर्फ वही व्यज़्ति सक्षम है। जिसका उस अचल सज़्पज़ि में हित निहित है। अपदूषण को परिभाषित करिये एवं उसके आवश्यक तत्वों को समझाइये।

23. Whether the defendent owes a duty to the plaintiff or not depends on reasonable forseability of injury to the plaintiff. Explain.
प्रतिवादी वादी के दायित्वाधीन है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि वादी की चोट उचित रूप से प्रत्याशा योग्य है। स्पष्ट कीजिये।

24. Law recognises that on certain occasions the right of free speech outweighs plaintiff's right to reputation. Explain.

विधि इस बात की मान्यता देती है कि कई अवसरों पर वादी के सज़्मान का अधिकार पर स्वतन्त्र भाषण का अधिकार भारी पड़ता है। स्पष्ट कीजिए।

25. Liability under the principle of absolute liability is move strict than under the principle of strict liability. Elucidate.

आत्यंतिक दायित्व का सिद्धान्त के तहत दायित्व कड़ा दायित्व का सिद्धान्त के तहत ज्यादा कड़ा है। स्पष्ट कीजिये।

OR / अथवा

Elective - X

विकल्प—X

21. Explain the principles underlying the law relating to passing of property and transfer of title under the Sale of Goods Act.

माल विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत सज़्पज़ि एवं शीर्षक के हस्तांतरण के सज़्बंध में निर्धारित विधि के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिये।

22. Critically discuss rights, duties and liabilities of a partner as a principal and an agent.

स्वामी एवं अभिकर्ता के रूप में भागीदार के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्वों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

23. Citically evaluate the legal problems encountered by an Independent Director and his company while playing their role as a Director under the Companies Act, 1956.

कज़्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों को अपनी भूमिका अदा करते हुए उनको और उनकी कज़्पनी को आने वाली विधिक समस्याओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

24. Discuss the role of the supreme court regarding bouncing of cheques.

चैकों के बाउन्स के सज़्बंध में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए।

25. How, and how far, the Negotiable Instruments Act protects banks, issuers and receivers of the negotiable instruments.

परक्राज़्य विलेख अधिनियम, बैंकों, तथा परक्राज़्य विलेखों को जारी करने वालों एवं प्राप्त करने वालों का कैसे और कहां तक बचाव करता है?

SECTION - IV

खण्ड—IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics. This question carries 40 marks.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उज़र निज़्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शज़्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Examine the various offences for which the criminal law in India has provided capital punishment. Do you agree with their adequacy ? If not, suggest alternate remedies.

उन विभिन्न अपराधों का परीक्षण कीजिए जिनके लिए भारत की अपराध विधि में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था है। ज़्या आप उनके औचित्य से सहमत हैं? यदि नहीं, तो वैकल्पिक उपचार सुझाइये।

OR / अथवा

Critically evaluate how far the existing personal laws in India are compatible with women's rights for equal treatment.

भारतीय व्यज़्तिक विधि महिलाओं के अधिकारों के समान उपचार हेतु कहां तक संगत है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

OR / अथवा

"The Precautionary Principle and the Polluter Pays Principle are essential features of sustainable development of the environmental law of the country". Discuss.

''एहतियाति सिद्धान्त'' तथा ''प्रदूषक भुगतान करें सिद्धान्त'' देश के पर्यावरणीय विकास पोषणार्थ आवश्यक घटक है।'' विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Secularism is many a time misused as a non religious. Explain the concept in the light of freedom of religion. Refer recent supreme court judgements.

धर्म निश्पेक्षता अनेकों बार अधार्मिक के रूप में दुरुपयोग किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में इस अवधारणा को समझाइये। अद्यतन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णीत वादों को संदर्भित कीजिए।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words) ....

(in figures) ....

Signature & Name of the Coordinator ....

(Evaluation) Date ....